


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या

1262 / 2012.....

जिला..... जोधपुर.....

उन्नानि— मै ० शिवा एन्टरप्राइजेज, बोरानाडा, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-पंचम वृत्त—  
जोधपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तार अहकाम जो हुक्म की तार में जारी हु</p>
<p>07.04.2015</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी पी औँझा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 1262 / 2012 / जोधपुर विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1262 / 2012 / जोधपुर जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	 <p>(मनोहर पुरी) सदस्य</p>